

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—07/2018 (2018/00020) वादपत्र

अनवान

1. बंशी पिता पेमा खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता नानु खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पुखराज पिता नानु खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दोली बेवा नानु खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादुलाल पिता जेता खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपाल पिता जेता खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रोशनलाल पिता जेता खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रियंका पुत्री तोली खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. आशा पुत्री तोली खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सन्तु पुत्री जेता खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सोहनी बेवा जेता खटीक निवासी भींटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 18.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भींटा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 197 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 298 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 299 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 300 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 301 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 302 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 303 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 304 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 305 रकबा 0.51 है, आराजी संख्या 306 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 1124 रकबा 0.27 है, कुल कित्ता 11 कुल रकबा 2.72 है, भूमि में आराजी संख्या 304 गे.मु.आ.चा. को शामलाती बदस्तुर रखते हुए वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड



आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भीटा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 301 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 306 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 298/2 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 1124/2 रकबा 0.09 है कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है भूमि बंशी पिता पेमा खटीक सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 297 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 298/1 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 299 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 300 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 302 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 303 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 305 रकबा 0.51 है, आराजी संख्या 1124/1 रकबा 0.18 है कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है भूमि शान्तिलाल 1/6 पुखराज 1/6 पिता नानु, दोली पत्नि नानु 1/6 लादूलाल 1/12 गोपाल 1/12 रोशन 1/12 पिता जेता, सन्तु 1/12 पुत्री जेता, आशा 1/24 प्रियंका 1/24 पुत्रीयां तोली, सावेनी पत्नि जेता 1/12 खटीक सा. देह खातेदार रहन बीओबी रायपुर हिस्सा लादुलाल पर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 304 रकबा 0.02 है गे.मु.आ.चा. शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sundar Lal Bumboda
18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—07/2018 (2018/00020) वादपत्र

अनवान

1. बंशी पिता पेमा खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता नानु खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पुखराज पिता नानु खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दोली बेवा नानु खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादुलाल पिता जेता खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपाल पिता जेता खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रोशनलाल पिता जेता खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. प्रियंका पुत्री तोली खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. आशा पुत्री तोली खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सन्तु पुत्री जेता खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सोहनी बेवा जेता खटीक निवासी भीटा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भीटा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 301 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 298/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1124/2 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि बंशी पिता पेमा खटीक सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 297 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 298/1 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 299 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 300 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 302 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 303 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 305 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 1124/1 रकबा 0.18 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 भूमि शान्तिलाल 1/6 पुखराज 1/6 पिता नानु, दोली पत्नि नानु 1/6 लादूलाल 1/12 गोपाल 1/12 रोशन 1/12 पिता जेता, सन्तु 1/12 पुत्री जेता, आशा 1/24 प्रियंका 1/24 पुत्रीयां तोली, सावेनी पत्नि जेता 1/12 खटीक सा. देह खातेदार रहन बीओबी रायपुर हिस्सा लादुलाल पर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 304 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा. शामिलती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



18-10-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा